राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,ग्वालियर (म.प्र.)
फल अनुसंधान केंद्र, बैरसिया रोड, ईंटखेड़ी, भोपाल (म.प्र.)
मो. 9406517978

क्रं / फ.अ.के. / 2025-26

दिनांकः

पुनः निविदा सूचना

फल अनुसंधान केंद्र, ईटखेड़ी, बैरसिया रोड, भोपाल में आम फसल वर्ष 2025 की पुनः नीलामी हेतु दिनांक 15.04.2025 को फल अनुसंधान केन्द्र, ईटखेड़ी में निविदा पुनः आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र व निविदा की विस्तृत शर्ते www.rvskvv.net पर उपलब्ध है।

प्रभारी प्रक्षेत्र
फल अनुसंधान केंद्र,ईटखेड़ी

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय
कार्यालय फल अनुसंधान केन्द्र ईंटखेड़ी बैरसिया रोड, भोपाल
मो नं. 9303315367, 9617253054

क्रमांक/फ.अ.के./2025–26/ 38 दिनांक : 11/04/25

निविदा सूचना

सभी इच्छुक ठेकेदारो को सूचित किया जाता है कि फल अनुसंधान केन्द्र, ईंटखेड़ी, बैरसिया रोड भोपाल में आम फसल वर्ष 2025 की पुनः नीलामी हेतु टेण्डर फल अनुसंधान केन्द्र, ईटखेड़ी में आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक ठेकेदार नीलामी में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 15.04.25 समय सुबह 10 बजे से 2 बजे तक कार्यालय फल अनुसंधान केन्द्र, ईटखेड़ी में उपस्थित रहकर टेण्डर फार्म खरीद सकते है एवं अपने–अपने भावपत्र निर्धारित प्रपत्र में भरकर 12:00 बजे तक जमा करें। निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। टेण्डर दिनांक 15.04.25 को समय 2 बजे अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय,सीहोर द्वारा गठित उच्च स्तरीय नीलामी समिति के सामने खोले जावेगे।

निविदा की शर्ते निम्न होगीः–

1. प्रत्येक टेण्डर प्रेषक को आम फसल बगीचे के लिये 50,000/– की राशि अमानत राशि के रूप में निविदा के पूर्व नगद जमा करनी होगी। यह राशि टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पावती रसीद जमा करने के बाद वापस दी जावेगी।
2. जिस भी ठेकेदार की नीलामी के लिए सर्वाधिक राशि होगी उसकी अमानत राशि फसल अवधि समाप्त होने तक कार्यालय में जमा रहेगी एवं अवधि पूर्ण होने पर वापस की जायेगी।
3. द्वितीय स्थान वाले ठेकेदार की राशि भी प्रथम स्थान वाले ठेकेदार की राशि प्राप्त होने तक कार्यालय में जमा रहेगी यदि प्रथम स्थान वाले ठेकेदार का ठेण्डर किसी कारणवश निरस्त होता है तब द्वितीय ठेकेदार को ठेका लेने का अवसर दिया जावेगा।
4. फसल अवधि के दौरान कार्यालय या प्रक्षेत्र की संपत्ति को ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार (पौधों की चोरी, क्षति, पाइप लाइन, विद्युत उपकरण, फार्म सामग्री व अन्य सामग्री में होने वाली क्षति या चोरी सम्मिलित है) की क्षति पहुचाने पर अमानत राशि से प्रतिपूर्ति की जायेगी।
5. अधिकतम निविदा बोली की राशि स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार समिति को होगा। साथ ही अधिकतम बोली हेतु निगोशिएशन की बात सभी पार्टियों से एक साथ की जावेगी।
6. समिति के आंकलन अनुसार सर्वाधिक राशि प्राप्त होने पर निगोशिएशन नहीं किया जायेगा।
7. स्वीकृत टेण्डर की पूरी रकम ठेकेदार को 48 घण्टे के अन्दर कार्यालय फल अनुसंधान केन्द्र, ईटखेड़ी में जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर द्वितीय स्थान वाले ठेकेदारोको स्वीकृत टेण्डर की राशि (प्रथम स्थान वाले ठेकेदारोकी दर) पर क्रय करने का अवसर होगा।
8. आम फसल तोड़ने की अंतिम तिथि 31.07.2025 तक ही रहेगी।
9. किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न होने पर अधिष्ठाता, आर.ए.के. कृषि महाविद्यालय सीहोर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
10. आम फसल बगीचे का अवलोकन एवं आंकलन कार्यालयीन दिवस पर ठेकेदारो द्वारा स्वयं आकर दिनांक 15 अप्रैल 2025 को समय सुबह 9 बजे से कर सकते है।
11. फसल की चौकीदारी, रखरखाव एवं किसी भी नुकसान की पूर्ण जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
12. आम फसल तुड़ाई के समय श्रमिकों के साथ हुई किसी भी तरह की दुर्घटना की जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
13. आम फसल की अवधि के दौरान प्रत्येक किस्म के 80 फल परीक्षण हेतु ठेकेदार द्वारा आवश्यक रूप से इस कार्यालय को निःशुल्क आवश्यकतानुसार समय–समय पर उपलब्ध कराने होगें। यदि इससे अधिक फलों की आवश्यकता होती है तो रू 40 प्रतिकिलो की दर से 100 कि.ग्रा. फल ठेकेदार द्वारा दिया जावेगा।
14. आम के मुख्य बगीचे के अलावा प्रक्षेत्र के अन्य फसल के पेड़ो से फल नही तोड़े जायेंगे। जो कि प्रदर्शनी के लिए सुरक्षित किये गये हैं।

15. उचित कीमत न आने पर टेण्डर/नीलामी निरस्त की जा सकती है।
16. आम की कलम काटने पर ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी एवं अन्तर्वर्तीय फसलों की खेती पर ठेकेदार की कोई भी आपत्ति मान्य नही होगी।
17. नीलामी के पश्चात फल वृक्षों में हवा, आंधी, तूफान रोग एवं कीट व्याधि से हुए नुकसान की जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
18. ठेकेदार को अपने निवास का पूर्ण पता राशन कार्ड/फोटो परिचय पत्र की छायाप्रति जमा करनी होगी जिससे उसके निवास का पता प्रमाणित हो सके।
19. टेण्डर खुलने के पश्चात् 500 रूपये के स्टॉम्प पर ठेकेदार को इकरार नाम कार्यालय में जमा कराना होगा।
20. ठेकेदार को अलग से अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेना होगा।
21. टेण्डर की अधिकतम राशि समय पर जमा ना होने पर निविदाकर्त्ता की अमानत राशि वापिस नहीं की जावेगी।
22. नीलामी राशि RTGS के माध्यम से अथवा डी.डी. के द्वारा नियमानुसार कार्यालय में जमा करनी होगी।
23. निविदाकर्ता द्वारा कार्यरत श्रमिकों/मजदूरों की जानकारी एवं उनका आधारकार्ड/परिचय पत्र/लिखित में प्रभारी को सूचित करेंगे।
24. फल बेचने के लिए गेट के बाहर गुमटी ठेकेदार अपनी जवाबदारी पर बनाकर बेच सकता है, मुख्य मार्ग अवरोध न हो इसका ध्यान रखते हुए ।

प्रभारी प्रक्षेत्र
फल अनुसंधान केन्द्र, ईंटखेड़ी

क्रमांक/ फ.अ.के./2025–26/ दिनांक :
चस्पा 1. स्थानीय नोटिस बोर्ड

प्रभारी प्रक्षेत्र
फल अनुसंधान केन्द्र, ईंटखेड़ी